दि. 20-4-18 प्रार्थी हेतु की ओर से पैरोकार सरकार (अ०) अपार्थी से.

दिनांक 23-5-2018 राज्य सरकार के आदेश के अनुसार विवादहीन राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण कर वयस्कों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से यह पत्रावली न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अभियान 2018 के तहत 2 बजे 30 मिनट पर लोक सेवा केन्द्र कालेवाली में मेरे समक्ष पेश हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील व्यक्तिगत प्राप्त नहीं हुआ तथा अप्रार्थीगण गुलाबसिंह व फूलसिंह का नोटिस तामील शुद्ध प्राप्त होने से 2 बजे 30 मिनट पर प्रार्थी पक्षकार के वकील नारायणलाल पुत्र हाजर मौजूद के बावजूद हाजिर नहीं। अप्रार्थीगण फूलसिंह व गुलाबसिंह पैरोकार सुनवाई हाजिर हुये। अपार्थी सं. 01 स्टेट की ओर से वकील सिरोही स्वयं हाजिर। स्टेट की ओर से जवाब पेश किया जिसे 2 बजे 40 मिनट पैरोकार सुनवाई उप तहसीलदार (भू-अभि.) कालेवाली ने मौजा कालेवाली-I की पुरानी जमाबंदी संवत 2050-2053 पुराना खाता नं. 22 खसरा 766, 847 की फर्जी पेश करने के 2 बजे 40 मिनट अपार्थी फूलसिंह व गुलाबसिंह द्वारा प्रकरण में संक्षिप्त बहस करने व अंतिम बहस सुनी गई। तथा अपार्थी सं. 01 स्टेट तहसीलदार सिरोही द्वारा भी अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने अपार्थी सं. 01 तहसीलदार सिरोही व अपार्थी सं. 2 व 3 की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अ०क्र० 136 L.R.Act तथा संलग्न पत्र नं. 3 में वर्णित तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध कालेवाली का फर्जी जमाबंदी दिनांक 20-4-2016, नाथूसिंह आदि की सत्य जमाबंदी दि० 1-7-1991, जमाबंदी सं वर्ष 2070-2073 [illegible]

सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा जमाबंदी सं० 2070-2073 का भी अवलोकन किया
उस पर भी मनन किया। तहसीलदार सिरोही ने
अपने जवाब में संलग्न जमाबंदी सं० व 20
के अनुसार उक्त पुत्र चमना जाति रावणा राजपूत
की नाम खेदड़ में दर्ज होना बताया है तथा
उपतहसीलदार पालनपुर द्वारा प्रस्तुत पुरानी
जमाबंदी संवत 2050-2053 का अवलोकन
करने पर "उक्त, इन्द्रासिंह वि० चमना 1/3,
पूनसिंह पुत्र पनाजी मु० बदी बाई बेरा पनाजी
1/3 बाग पुत्र भारताजी 1/3 हि० बटे 1 आदि
खातेदार दर्ज होना पाया है। इस प्रकार नई व
पुरानी जमाबंदी में नाम दर्ज के कोई भिन्नता
नहीं होना पाया है। पुरानी जमाबंदी में भी नाथूसिंह
पुत्र चमना जाति रावणा राजपूत दर्ज होना
नहीं पाया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने भी इस
पुराने कोई दस्तावेजी प्रमाणिक साक्ष्य पेश नहीं
किया है कि स्व० नाथूसिंह का गांव में उक्त सिंह
के नाम से जाना जाता था तथा यह नाम खेदड़
धारा 136 L.R.Act के तहत राजस्व रेकर्ड में
दुरुस्ती केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि, Error,
तथा दस्तावेजी Updated फेक्ट की परिवर्तन
होने से राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जाता है।
विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी उक्त पुत्र श्री चमना
जाति रावणा राजपूत राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज
है के स्थान पर नाथूसिंह पुत्र चमना जाति
रावणा राजपूत से संशोधन कराना चाहता है।
नाथूसिंह पुत्र चमना तथा उक्त पुत्र चमना
अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। उपरोक्त
सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना
अ०धा० 136 L.R.Act का विषय है। अप्रार्थीगण अध्याय
136 L.R.Act के तहत परिवर्तनीय नहीं होने
से खारिज किया जाता है। यह निर्णय अन्तरिम
प्रेम फोर्ड फिटनेस सेवा केन्द्र कालन्द्री में मुझसे
कम में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नंबर से कम हो।

23/5/18

तहसीलदार रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)